राजस्थान सरकार

संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

पंजीयन क्रमांक : 13/भीलवाड़ा/1996-97

यह प्रमाणित किया जाता है कि रामपुरा आगूंचा खान विद्यालय प्रबंध समिति, जिंक कॉलोनी हुरडा, जिला-भीलवाड़ा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक-21-8-1996 को किया गया।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तित कर जिंक विद्यालय मैनेजमेन्ट कमेटी, हुरडा जिला-भीलवाड़ा कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से आज दिनांक 5-2-1997 को जारी किया गया है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
भीलवाड़ा